न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)
पीठसीन अधिकारी मनस्वी नरेश आ.ए.एस

ा पत्र संख्या ::– 103 / 2023

1. गोपी पिता भोला जी जाति धाकड निवारी मडावदा तह0 बेगूँ
2. उदयलाल पिता मांगीलाल जाति धाकड निवारी मडावदा तह0 बेगूँ
3. देराम पिता मांगीलाल जाति धाकड निवासी मडावदा तह0 बेगूँ
4. लीला पिता मांगीलाल जाति धाकड निवारी मडावदा तह0 बेगूँ
5. रामचन्द्र पिता देवीलाल जाति धाकड निवारी मडावदा तह0 बेगूँ
6. प्रेमबाई पिता देवीलाल जाति धाकड निवासी मडावदा तह0 बेगूँ

वादीगण

बनाम

1. कन्हैयालाल पिता गोपीलाल धाकड निवासी मडावदा तह0 बेगूँ
2. निर्मला पिता गोपीलाल धाकड निवासी मडावदा तह0 बेगूँ
3. लाडबाई पिता गोपीलाल धाकड निवासी मडावदा तह0 बेगूँ
4. शान्तिबाई पत्नी गोपीलाल धाकड निवासी मडावदा तह0 बेगूँ
5. शंकरलाल पिता नानालाल धाकड निवासी मडावदा तह0 बेगूँ
6. कमलाबाई पिता नानालाल धाकड निवासी मडावदा तह0 बेगूँ
7. प्रे मबाई पिता नानालाल धाकड निवासी मडावदा तह0 बेगूँ
8. सुशीला पिता नानालाल धाकड निवासी मडावदा तह0 बेगूँ
9. मोत्याबाई पत्नी नानालाल धाकड निवासी मडावदा तह0 बेगूँ
10. राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर महोदय चितौडगढ़
11. श्रीमान तहसीलदार साहब भूमिधारी जी तहसील कार्यालय बेगूँ

प्रतिवादीगण

उपस्थित ::– श्री कैलाश चन्द्र मंत्री
अधिवक्ता वादीगण

निर्णय दिनांक ::– 30.04.2025

निर्णय वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वादीगण का वादपत्र इस प्रकार से है कि ग्राम मडावदा पटचवार हल्का मडावदा तह0 बेगूँ की वर्तमान आराजी संख्या 379मी0 रकबा 0.1400 हैक्टर एवं आराजी संख्या 1169 / 379 रकबा 0.1500 हैक्टर मूल आराज ीसंख्या 379 रकबा 0.2900 हैक्टर के भाग है एवं मूल आराजी संख्या 379 रकबा 0.2900 हैक्टर भूमि वादीगण के पुश्तैनी स्वामित्व एवं आधिपत्य एवं कब्जे की होकर प्रतिवादीगण के पूर्वज के नाम भूप्रबंध विभाग की गलती से दर्ज हो गई है, जो आज तक उनके व बाद मे उनके वारिसान के नाम अंकन चली आ रही है।

यह कि उक्त आराजी संख्या 379 रकबा 0.2900 हैक्टर भूमि भूप्रबंध पूर्व की आराजी संख्या 253 का भाग है जो पुराने एवं नये नक्शे के मिलान से स्पष्ट है भूप्रबंध पूर्व की आराजी संख्या 253 वादीगण के पूर्वज मोडा भोला पिता लाल धाकड के नाम खातेदारी हक से भूप्रबंध पूर्व तक दर्ज रेकार्ड थी एवं उनके ही स्वामित्व आधिपत्य में थी जिसे भूप्रबंध विभाग ने बिना किसी विधिक एवं वैध आधार के भूप्रधि पश्चात प्रतिवादीगण के पूर्वज रामा पिता मोती धाकड के नाम दर्ज कर दी जो गलत एवं अवैध कार्यवाही है।

यह कि भूप्रवंध पूर्व की आराजी संख्या 257 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा एवं आराजी संख्या 258 रकबा 1 बीघा 17 विस्वा किता 2 कुल रकबा 4 बीघा 4 बिस्वा भूमि ही उस स्थान पर प्रतिवादीण्गा के पूर्वजो के नाम थी जिसका भूप्रबंध पश्चात नवीन नम्बर 377 रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा व 378 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा योग किता 2 कुल रकवा 5 बीघा 10 विस्वा ही बनता है एवं ये प्रतिवादीगण के पूर्वजो के नाम ही दर्ज हुई है, किन्तु इससे अधिक जाकर विना वैध आधार के भूप्रबंध विभाग ने आराजी संख्या 379 रकबा 1 बीघा 16 विस्वा भी वादीगण के पूर्वजो के बजाय प्रतिवादीगण के पूर्वजो के नाम दर्ज कर दी जो अवैध कार्यवाही है।

यह कि भूप्रंध पूर्व की आराजी संख्या 253 एवं 254 वादीगण के पूर्वजो के नाम थी व आराजी संख्या 254 के उत्तर में लगती हुई आराजी संख्या 253 थी दोनो की पश्चिमी भुजा एवं पूर्वी भुजा एक सीध में थी जो फिर जब आराजी संख्या 380 आराजी संख्या 254 का भाग है व वादीगण के नाम दर्ज हो कब्जे काश्त है तो स्वतः प्रमाणित हो जाता है कि आराजी संख्या 379 जो आराजी संख्या 380 के उत्तर में है भी वादीगण के ही स्वामित्व आधिपत्य एवं कब्जे काश्त की है जिसे भूप्रबंध विभाग ने लिपिकीय भूल से बिना

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौडगढ)

सी विधिक एवं वैध आधार के प्रतिवादीगण के ना मदर्ज कर दी जिसे वादीगण पुनः अपने नाम कराने के अधिकारी है।

यह कि वादीगण को जब अपनी जमीन का ऑनलाईन रिकार्ड देखने पर जानकारी में आया कि यह भूमि आराजी संख्या 379 के दो टुकडे होकर वादीगण के नाम दर्ज न हो प्रतिवादीगण के नाम दर्ज हो चुकी है तो वादीगण ने रिकार्ड निकलवाया जिस पर यह जानकारी हुई कि भूप्रबंध विभाग ने ही यह गलती कर दी तो वादीगण ने प्रतिवादीगण को दिनांक 12.07.2023 को तहसील कार्यालय में चल कर खाता सही कराने बाबत कहा तो उन्होने मना कर दिया जिससे वादीगण को यह वाद वास्ते घोषणा विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रस्तुत करने की आवश्यकता हुई है।

यह कि ग्राम मडावदा पटवार हल्का आंवलहेडा तहसील बेगूँ की वर्तमान आराजी संख्या 379 मी0 रकबा 0.1400 हैक्टर भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के नाम एवं आराजी संख्या 1169/379 रकबा 0.1500 हैक्टर जो प्रतिवादी संख्या 05से 9 के नाम राजस्व रेकार्ड में अंकित है , वादीगण की पुश्तैनी होने से एवं वादीगण का अर्सा कदीम से कब्जे काश्त में होने से वादीगण अपने नाम खातेदारी की होने की घोषणा कराने के अधिकारी है एवं वादीगण का यह वाद इसी हेतु न्यायालय श्रीमान में प्रस्तुत है।

यह कि वाद कारण दिनांक 12.07.2023 को प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की भूमि को वादीगण के नाम कराने की कार्यवाही से इंकार करने से उत्पन्न होकर हर रोज वर्तमान है। वर्णित आराजीयात न्यायालय श्रीमान के क्षैत्राधिकार में स्थित होने से वाद श्रवणाधिकार न्यायालय श्रीमान को प्राप्त है। एवं प्रतिवादी संख्या 10 व 11 राजस्व आराजीयात की घोषणार के वाद में आवश्यक पक्षकार होने से पक्षकार बनाये गये है।

यह कि वादीगण न्यायालय श्रीमान से निम्नलिखित अनुतोष की प्रार्थना करते है :–

(अ) कि पक्ष वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की घोषणात्मक आज्ञप्ति प्रदान की जावे कि ग्राम मडावदा पटवार हल्का आंवलहेडा तह0 बेगूँ की आराजी संख्या 379 मी रकबा 0.1400 हैक्टर एवं आराजी संख्या 1169/379 रकबा 0.1500 हैक्टर योग किता–2 कुल रकबा 0.2900 हैक्टर भूमि वादीगण के स्वामित्व आधिपत्य खातेदार की है जिसे वादीगण राजस्व रेकार्ड में अपने नाम दर्ज कराने के अधिकारी है।

(ब) कि अन्य कोई सहायता जो सुलभ वादीगण हो प्रदान की जावें।

वादीगण का वादपत्र न्यायालय में प्रस्तुत होने पर बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, पत्रावली मे प्रतिवादीगण संख्या 1 से 9 तक बावजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नहीं आने से उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश न्यायालय द्वारा दिये गये, प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 10 व 11 पैरोकार राज्य सरकार द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत नहीं किया जाने से प्रकरण मे वादीगण की ओर से एक तरफा साक्ष्य वादीगण में साक्ष्य शपथ पत्र वादी उदयलाल पिता मांगीलाल धाकड व गवाह लीलाशंकर पिता घीसा धाकड के प्रस्तुत किये गये। वादी उदयलाल द्वारा मुख्य परीक्षण में दावा पत्रावली में प्रस्तुत सभी दस्तावेज को प्रदर्श कराया गया प्रकरण में अधिवक्ता प्रतिवादीगण के न होने से जिरह निल रही एवं पुनः परीक्षण भी निल रहा है। इस प्रकार वादी की साक्ष्य पूर्ण करा वादी के बयान कलमबद्ध कराये गयें।

दावा पत्रावली में वादीगण की एक तरफा साक्ष्य पूर्ण होने के पश्चात अधिवक्ता वादीगण की एक तरफा बहस को ध्यानपूर्वक सुना गया, अधिवक्ता वादीगण द्वारा अपनी बहस को वाद पत्र के अनुसार एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज के अनुसार वादीगण के पक्ष में वर्णित आराजी की घोषणा कराने का निवेदन किया है। बहस अधिवाक्ता वादीगण की सुने जाने के पश्चात हमारे द्वारा दावा पत्रावली में प्रस्तुत सभी दस्तावेज का अवलोकन किया गया जिसका विवरण निम्नलिखितानुसार करते हुए इस दावे का निर्णय किया जाना हम उचित समझते है :–

1– प्रदर्श–1 नकल जमावंदी मौजा मडावदा पटवार हल्का आंवलहेडा की सम्वत 2078 के खाता संख्या 30 में दर्ज आराजी संख्या 103, 1164/24, 1168/378, 1170/377, 1172/878, 34मी., 379मी., 456, 470, 471, 858मी., 919मी. कुल किता–12 कुल रकवा 2.7600 हैक्टर भूमि के खातेदार कन्हैयालाल पुत्र गोपीलाल हिस्सा 1/4 धाकड , निर्मलावाई पुत्र गोपीलाल हिस्सा 1/4 धाकड, लाडबाई पुत्र गोपीलाल हिस्सा 1/4, शान्तिवाई पत्नि गोपीलाल हिस्सा 1/4 दर्ज अंकित है। इस जमाबंदी के अवलोकन से यह सामने आता है कि वाद वर्णित आराजी संख्या 379मी. रकवा 0.1400 हैक्टर भूमि जिसे वादीगण अपने नाम पर खातेदारी में घोषित कराना चाहते है यह भूमि प्रतिवादीगण के खाते में दर्ज है।

2– प्रदर्श–2 नकल जमावंदी मौजा मडावदा पटवार हल्का आंवलहेडा सम्वत 2078 के खाता संख्या 309 की है जिसमें दर्ज आराजी संख्या 1167/34, 1169/379, 1171/858, 377मी., 378मी., 878मी कीता–6 कुल रकबा 1.2600 हैक्टर भूमि खातेदार कमलावाई पुत्री नानालाल हिस्सा 1/5 धाकड, प्रेमबाई पुत्री नानालाल हिस्सा 1/5, मोत्यावाई पत्नि नानालाल हिस्सा 1/5 शंकरलाल पुत्र नानालाल धाकड हिस्सा 1/5 व

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूं (चित्तौड़गढ़)

ोलाबाई पुत्री नानालाल धाकड हिस्सा 1/5 के नाम दर्ज अंकित हैं। इस जमाबंदी में भी वाद वर्णित ाराजी संख्या 1169/379 रकबा 0.1500 हैक्टर भूमि प्रतिवादीगण के नाम दर्ज होना स्पष्ट हो जाता है।

3— प्रदर्श—3 नकल जमाबंदी मौजा मडावदा पटवार हल्का आंवलहेडा सम्वत 2078 के खाता संख्या 218 में दर्ज आराजी संख्या 1144/26, 26, 380, 428, 429, 430, 461, 462, 48, 49, 716 कीता—11 कुल रकवा 2.8900 हैक्टर भूमि उदयलाल पुत्र मांगीलाल धाकड हिस्सा 1/10, गोपी पुत्र भोला हिस्सा 1/2, जानीवाई पत्नि स्द मांगीलाल हिस्सा 1/10, देराम पुत्र मांगीलाल हिस्सा 1/10, रामचन्द्र पुत्र मांगीलाल हिस्सा 1/10 व लीला पुत्री मांगीलाल हिस्सा 1/10 भूमि के खातेदार प्रतिवादीगण दर्ज अंकित है। इस जमावंदी में भी वादीगण द्वारा अपने वादपत्र मे अंकित की गई भूमि आराजी संख्या 380 आराजी संख्या 254 का भाग है व वादीगण के नाम दर्ज हो कब्जे काश्त है आराजी संख्या 379 जो आराजी संख्या 380 के उत्तर में है भी वादीगण के ही स्वामित्व आधिपत्य एवं कब्जे काश्त की होना बताया है।

4— प्रदर्श—4 नकल जमाबंदी मौजा मडावदा की सम्वत 2011 से 2014 की पेश की है जिसमें भी दर्ज गत आराजी संख्या 257 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा एवं आराजी संख्या 258 रकबा 1बीघा 17 बिस्वा भूमि को वादीगण ने अपने पूर्वजो की होना वादपत्र में अंकित किया है।

5— प्रदर्श—5 नकल जमाबंदी मौजा मडावदा की सम्वत 2011 से 14 में दर्ज आराजी संख्या 252, 308,310 मोडा भोला पिता लाला धाकड के नाम पर दर्ज है।

6— प्रदर्श—6 नकल जमाबंदी मौजा मडावदा की सम्वत 2027 से 30 में दर्ज आराज ीसंख्या 253, 308, 310 के खडमदार श्री लाला पिता नारायण धाकड के नाम दर्ज अंकित होना दर्शाया गया है। आराजी संख्या 275 रकबा 2बीघा भूमि खडमदार श्री पन्ना काना पिता सीताराम 2/3 नंदा पिता पन्ना 1/3 धाकड के नामदर्ज होना अंकित किया है तथा आराजी संख्या 255 रकबा 2 बिस्वा भूमि खडमदार श्री लाल पिता नारायण 1/2नोला पिता लाला 1/4देवा पिता जालम 1/8 व कालु पिता गोकल 1/8 धाकड दर्ज अंकित है तथा आराजी संख्या 254 व 256 रकबा 8बीघा 13 बिस्वा भूमि खडमदार श्रीलाल पिता नारायण 1/2सीताराम पिता चम्पा 1/2 धाकड के नाम दर्ज है।

इसी प्रकार पत्रावली में प्रस्तुत नकल जमाबंदी प्रदर्श—7, प्रदर्श—8 एवं प्रदर्श—9 का अवलोकन भी हमारे द्वारा किया गया है। प्रदर्श—10 व प्रदर्श—11 नक्शा किश्तवार मौजा मडावदा में दर्ज गत नम्बरान का अवलोकन भी हमारे द्वारा किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत प्रदर्श—12 जो कि भू—प्रबन्ध विभाग की नये पुराने नम्बरान के मिलान का खसरा है का अवलोकन किया गया जिसमे दर्ज गत आराजी संख्या 258मी जिसके नये आराजी नम्बर 379 बने थे वह भूमि लाला पिता नारायण धाकड के नाम दर्ज थी जिसे काटते हुए रामा पिता मोतीधाकड सा.देह के नाम पर दर्ज की गई है। इसी प्रकार गत आराजी संख्या 254 मी जिसके नवीन आराजी संख्या 380 बने है की भूमि लाला वल्द नारायण 1/2 सीताराम वल्द चम्पा 1/2 धाकड के नाम दर्ज है, जैसा कि उपर स्पष्ट किया गया है कि गत जमाबंदी में आराजी संख्या 257 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा एवं आराजी संख्या 258 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा भूमि उस स्थान पर प्रतिवादीगण के पूर्वजो के नाम थी जिसका भूप्रबंध पश्चात नवीन नम्बर 377 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा व 378 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा जिसका कुल योग 5 बीघा 10 बिस्वा बनता है एवं ये प्रतिवादीगण के पूर्वजो के नाम दर्ज हुई किन्तु इससे अधिक भू प्रबंध विभाग ने आराजी संख्या 379 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा वादीगण के पूर्वज के बजाय प्रतिवादीगण के पूर्वजो के नाम दर्ज करना स्पष्ट होता है। दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर वादीगण का वाद पत्र सही होना पाया जाता है।

चूँकि प्रतिवादीगण ने न्यायालय में उपस्थित होकर कोई जवाब इस वादपत्र का नहीं दिया है जवकि वर्णित आराजी पर वादीगण का ही कब्जा काश्त होना वादीगण ने अपने वादपत्र में अंकित किया है। जिससे वादीगण भू—प्रबंध द्वारा गलत दर्ज अंकन की त्रुटि को वादीगण सुधरवाने के अधिकारी पाये जाते है। वादीगण का वादपत्र स्वीकार किया जाकर दावा डिक्री किया जाने योग्य पाया जाता है।

अतः वाद वादीगण अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है। मौजा मडावदा पटवार हल्का आंवलहेडा की आराजी संख्या 379 मी रकबा 0.1400 हैक्टर भूमि एवं आराजी संख्या 1169/379 रकबा 0.1500 हैक्टर कुल कीता—2 कुल रकबा 0.2900 हैक्टर भूमि को प्रतिवादीगण संख्या 1 से 9 के खाते से कम की जाकर वादीगण के नाम पर भूमि राजस्व रिकोर्ड में दर्ज किये जाने की घोषणा की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 30.04.2025 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(सहायक कलेक्टर)
(उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ

मूल वाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूं जिला चितौडगढ़ (राज0)

पीठासीन अधिकारी मनस्वी नरेश आर.ए.एस

दावा पत्र संख्या ::– 103/2023

1. गोपी पिता भोला जी जाति धाकड निवासी मडावदा तह0 बेगूं
2. उदयलाल पिता मांगीलाल जाति धाकड निवासी मडावदा तह0 बेगूं
3. देराम पिता मांगीलाल जाति धाकड निवासी मडावदा तह0 बेगूं
4. लीला पिता मांगीलाल जाति धाकड निवासी मडावदा तह0 बेगूं
5. रामचन्द्र पिता देवीलाल जाति धाकड निवासी मडावदा तह0 बेगूं
6. प्रेमबाई पिता देवीलाल जाति धाकड निवासी मडावदा तह0 बेगूं

वादीगण

बनाम

1. कन्हैयालाल पिता गोपीलाल धाकड निवासी मडावदा तह0 बेगूं
2. निर्मला पिता गोपीलाल धाकड निवासी मडावदा तह0 बेगूं
3. लाडबाई पिता गोपीलाल धाकड निवासी मडावदा तह0 बेगूं
4. शान्तिबाई पत्नी गोपीलाल धाकड निवासी मडावदा तह0 बेगूं
5. शंकरलाल पिता नानालाल धाकड निवासी मडावदा तह0 बेगूं
6. कमलाबाई पिता नानालाल धाकड निवासी मडावदा तह0 बेगूं
7. प्रे मबाई पिता नानालाल धाकड निवासी मडावदा तह0 बेगूं
8. सुशीला पिता नानालाल धाकड निवासी मडावदा तह0 बेगूं
9. मोत्याबाई पत्नी नानालाल धाकड निवासी मडावदा तह0 बेगूं
10. राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर महोदय चितौडगढ़
11. श्रीमान तहसीलदार साहब भूमिधारी जी तहसील कार्यालय बेगूं

प्रतिवादीगण

<u>निर्णय वाद अ0धा0 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>

वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री कैलाश चन्द्र मंत्री की उपस्थिती तथा प्रतिवादीगण की ओर से श्री ....की अनुपस्थिती में इस वाद अ.धा. 88 आर.टी.एक्ट में आज दिनांक 30.04.2025 को पीठासीन अधिकारी मनस्वी नरेश सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बेगूं के समक्ष अंतिम निपटारे हेतु उपस्थित होने से वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राज0 काश्त0 अधि0 का स्वीकार किया जाता है। दावा अंतिम डिक्री किया जाता है :–

अतः वाद वादीगण अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है। मौजा मडावदा पटवार हल्का आंवलहेडा की आराजी संख्या 379 मी रकबा 0.1400 हैक्टर भूमि एवं आराजी संख्या 1169/379 रकबा 0.1500 हैक्टर कुल कीता–2 कुल रकबा 0.2900 हैक्टर भूमि को प्रतिवादीगण संख्या 1 से 9 के खाते से कम की जाकर वादीगण के नाम पर भूमि राजस्व रिकोर्ड में दर्ज किये जाने की घोषणा की जाती है।

अंतिम डिक्री आज दिनांक 30.04.2025को तैयार की जाकर मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।

(मनस्वी नरेश)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)बेगूं
दिनांक :–

क्रमांक/सरिश्ता22025/

दावा संख्या 103/202 व अनवान गोपी पिता भोला बनाम कन्हैयालाल पिता गोपीलाल वगै दावा 88 आर.टी.एक्ट में जारी अंतिम डिक्री की प्रति वास्ते पालनार्थ तहसीलदार बेगूं को दी जाती है।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)बेगूं

मूल वाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)

पीठसीन अधिकारी मनस्वी नरेश आर.ए.एस

दावा पत्र संख्या ::– 103/2023

1. गोपी पिता भोला जी जाति धाकड निवासी मडावदा तह0 बेगूँ
2. उदयलाल पिता मांगीलाल जाति धाकड निवासी मडावदा तह0 बेगूँ
3. देराम पिता मांगीलाल जाति धाकड निवासी मडावदा तह0 बेगूँ
4. लीला पिता मांगीलाल जाति धाकड निवासी मडावदा तह0 बेगूँ
5. रामचन्द्र पिता देवीलाल जाति धाकड निवासी मडावदा तह0 बेगूँ
6. प्रेमबाई पिता देवीलाल जाति धाकड निवासी मडावदा तह0 बेगूँ

वादीगण

बनाम

1. कन्हैयालाल पिता गोपीलाल धाकड निवासी मडावदा तह0 बेगूँ
2. निर्मला पिता गोपीलाल धाकड निवासी मडावदा तह0 बेगूँ
3. लाडबाई पिता गोपीलाल धाकड निवासी मडावदा तह0 बेगूँ
4. शान्तिबाई पत्नी गोपीलाल धाकड निवासी मडावदा तह0 बेगूँ
5. शंकरलाल पिता नानालाल धाकड निवासी मडावदा तह0 बेगूँ
6. कमलाबाई पिता नानालाल धाकड निवासी मडावदा तह0 बेगूँ
7. प्रे मबाई पिता नानालाल धाकड निवासी मडावदा तह0 बेगूँ
8. सुशीला पिता नानालाल धाकड निवासी मडावदा तह0 बेगूँ
9. मोत्याबाई पत्नी नानालाल धाकड निवासी मडावदा तह0 बेगूँ
10. राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर महोदय चितौडगढ़
11. श्रीमान तहसीलदार साहब भूमिधारी जी तहसील कार्यालय बेगूँ

प्रतिवादीगण

निर्णय वाद अ0धा0 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री कैलाश चन्द्र मंत्री की उपस्थिती तथा प्रतिवादीगण की ओर से श्री ....की अनुपस्थिती में इस वाद अ.धा. 88 आर.टी.एक्ट में आज दिनांक 30.04.2025 को पीठासीन अधिकारी मनस्वी नरेश सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बेगूँ के समक्ष अंतिम निपटारे हेतु उपस्थित होने से वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राज0 काश्त0 अधि0 का स्वीकार किया जाता है। दावा अंतिम डिक्री किया जाता है :–

अतः वाद वादीगण अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है। मौजा मडावदा पटवार हल्का आंवलहेडा की आराजी संख्या 379 मी रकबा 0.1400 हैक्टर भूमि एवं आराजी संख्या 1169/379 रकबा 0.1500 हैक्टर कुल कीता–2 कुल रकबा 0.2900 हैक्टर भूमि को प्रतिवादीगण संख्या 1 से 9 के खाते से कम की जाकर वादीगण के नाम पर भूमि राजस्व रिकोर्ड में दर्ज किये जाने की घोषणा की जाती है।

अंतिम डिकी आज दिनांक 30.04.2025को तैयार की जाकर मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।

(मनस्वी नरेश)
सहायक कलक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)बेगूँ

क्रमांक/सरिश्ता22025/ दिनांक :–

दावा संख्या 103/202 व अनवान गोपी पिता भोला बनाम कन्हैयालाल पिता गोपीलाल वगै दावा 88 आर.टी.एक्ट में जारी अंतिम डिकी की प्रति वास्ते पालनार्थ तहसीलदार बेगूँ को दी जाती है।

सहायक कलक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)बेगूँ